पेड न्यूज और भारतीय पत्रकारिता : लोकतंत्र पर प्रभाव

घनश्याम लाल* **डॉ. अजय कुमार सिंह†**

lakshkarlib1972@gmail.com **jmc.ajaysingh@gmail.com**

सारांश

पेड न्यूज भारतीय पत्रकारिता और लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है, जो समाचारों को नकद या अन्य प्रतिफल के बदले प्रायोजित सामग्री के रूप में प्रस्तुत करता है। यह विशेष रूप से चुनावों के दौरान मतदाताओं को गलत सूचना देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। इसके प्रमुख कारणों में मीडिया का निगमीकरण, संपादकीय स्वतंत्रता का ह्रास, वित्तीय दबाव, और नैतिकता की कमी शामिल हैं। पेड न्यूज न केवल पत्रकारिता की विश्वसनीयता को नष्ट करता है, बल्कि सामाजिक विभाजन और गलत सूचना को भी बढ़ावा देता है। भारतीय प्रेस परिषद ने इस समस्या से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसकी सीमित दंडात्मक शक्तियां और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अधिकार की कमी प्रभावशीलता को कम करती है। उदाहरणों में दैनिक जागरण, हरमोहन धवन और नीरा राडिया टेप जैसे मामले शामिल हैं। संसद की स्थायी समिति ने पेड न्यूज को नियंत्रित करने के लिए कानूनी परिभाषा, एकल नियामक निकाय, और दंडात्मक शक्तियों जैसे सुझाव दिए हैं। प्रस्तावित सुधारों में कानूनी संशोधन, संपादकीय स्वतंत्रता, और जन जागरूकता शामिल हैं। एक स्वतंत्र और नैतिक पत्रकारिता ही लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है।

मुख्य शब्द :

पेड न्यूज, भारतीय पत्रकारिता, लोकतंत्र, भारतीय प्रेस परिषद, नैतिकता, गलत सूचना

परिचय

पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सेतु का कार्य करती है। यह न केवल सरकार और अधिकारियों को उनके कार्यों और निष्क्रियता के लिए जवाबदेह ठहराती है, बल्कि जनता को सूचित और जागरूक रखकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत

* **पी-एच. डी. शोधार्थी, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर**

† **शोध पर्यवेक्षक और सहायक प्रोफेसर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग**
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर

करती है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय समाचार प्रदान करना है, जो जनमत निर्माण और सामाजिक जागरूकता में योगदान देता है। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में, पेड न्यूज की बढ़ती प्रवृत्ति ने पत्रकारिता की नैतिकता, स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यह शोध पत्र पेड न्यूज की परिभाषा, इसके कारणों, लोकतंत्र पर इसके प्रभाव, भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका और इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक सुधारों पर विस्तृत चर्चा करता है।

पेड न्यूज: परिभाषा और प्रकृति

भारतीय प्रेस परिषद के अनुसार, पेड न्यूज वह समाचार या विश्लेषण है जो नकद या किसी अन्य प्रकार के प्रतिफल के बदले मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है। यह सामग्री अक्सर समाचार के रूप में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन वास्तव में यह प्रायोजित या प्रचार सामग्री होती है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल के हितों को बढ़ावा देना होता है। पेड न्यूज की समस्या विशेष रूप से चुनावी समय में प्रबल होती है, जब यह मतदाताओं को गलत सूचना देकर उनके मतदान के निर्णय को प्रभावित करती है। यह न केवल पत्रकारिता की नैतिकता को नष्ट करती है, बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और अन्य कानूनों का उल्लंघन भी करती है।

पेड न्यूज एक जटिल और संगठित समस्या बन चुकी है। यह व्यक्तिगत पत्रकारों या मीडिया घरानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनेता, कॉरपोरेट्स और मध्यस्थ शामिल होते हैं। यह पत्रकारिता के पेशे को भ्रष्ट करने के साथ-साथ लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। पेड न्यूज की प्रकृति को समझने के लिए इसके कुछ प्रमुख लक्षणों पर ध्यान देना आवश्यक है:

1. **छिपा हुआ प्रचार**: पेड न्यूज को सामान्य समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठकों या दर्शकों को यह भेद करना मुश्किल हो जाता है कि यह प्रायोजित सामग्री है।
2. **चुनावी प्रभाव**: यह विशेष रूप से लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान प्रबल होता है, जहां उम्मीदवारों और दलों के लिए सकारात्मक कवरेज खरीदी जाती है।
3. **आर्थिक लाभ**: यह मीडिया घरानों और पत्रकारों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बन गया है, जो विज्ञापन राजस्व पर उनकी निर्भरता को दर्शाता है।
4. **सामाजिक प्रभाव**: यह सामाजिक विभाजन और गलत सूचना को बढ़ावा देता है, जिससे जनता का विश्वास पत्रकारिता पर कम होता है।

पेड न्यूज के कारण

पेड न्यूज के उदय के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. मीडिया का निगमीकरण : पिछले कुछ दशकों में, भारतीय मीडिया का स्वामित्व बड़े कॉरपोरेट्स और व्यापारिक घरानों के हाथों में केंद्रित हो गया है। ये कॉरपोरेट्स अक्सर अपने व्यावसायिक और राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं। इससे संपादकीय स्वतंत्रता पर दबाव बढ़ा है, और समाचार पत्र और चैनल प्रचार के साधन बन गए हैं।

2. संपादकीय स्वतंत्रता का ह्रास : पत्रकारों और संपादकों की स्वायत्तता में कमी आई है। कई मीडिया घरानों में प्रबंधन संपादकीय निर्णयों में हस्तक्षेप करता है, जिससे पत्रकारिता के मूल्यों का ह्रास होता है। संविदा प्रणाली के तहत कार्यरत पत्रकारों को स्थायी नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, जिसके कारण वे प्रबंधन के दबाव में अनैतिक प्रथाओं को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं।

3. वित्तीय दबाव : मीडिया घराने विज्ञापन राजस्व पर अत्यधिक निर्भर हैं। कई बार, विज्ञापनदाताओं और प्रायोजकों के दबाव में, समाचार सामग्री को उनके हितों के अनुरूप ढाला जाता है। पेड न्यूज इस निर्भरता का एक परिणाम है, जहां मीडिया घराने अतिरिक्त आय के लिए प्रायोजित सामग्री को समाचार के रूप में प्रकाशित करते हैं।

4. नैतिकता का अभाव : पत्रकारिता के पेशेवर मानकों में कमी आई है। कुछ पत्रकार और मीडिया घराने आर्थिक लाभ के लिए नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। यह प्रवृत्ति व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

5. संविदा प्रणाली और पत्रकारों का शोषण : अधिकांश पत्रकार संविदा पर काम करते हैं, जिसके कारण उनकी नौकरी की सुरक्षा कम होती है। इससे वे प्रबंधन के दबाव में अनैतिक प्रथाओं को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं। कई बार, पत्रकारों को विज्ञापन लाने या प्रायोजित सामग्री लिखने के लिए बाध्य किया जाता है।

6. प्रतिस्पर्धा और बाजारीकरण : मीडिया उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने समाचार पत्रों और चैनलों को सनसनीखेज और प्रायोजित सामग्री की ओर धकेल दिया है। TRP (टेलीविजन रेटिंग पॉइंट) और सर्कुलेशन बढ़ाने की होड़ में, कई मीडिया घराने पेड न्यूज को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं।

लोकतंत्र पर प्रभाव

पेड न्यूज का लोकतंत्र पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. **गलत सूचना का प्रसार**: पेड न्यूज मतदाताओं को गलत या पक्षपातपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे उनके मतदान के निर्णय प्रभावित होते हैं। यह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के सिद्धांत को कमजोर करता है।

2. **मीडिया की विश्वसनीयता में कमी**: जब जनता को पता चलता है कि समाचार प्रायोजित हैं, तो उनका मीडिया पर भरोसा कम होता है। यह पत्रकारिता को एक अविश्वसनीय संस्था के रूप में प्रस्तुत करता है।
3. **लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कमजोर होना**: पेड न्यूज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है, क्योंकि यह धनबल और प्रभावशाली लोगों को अनुचित लाभ देता है। इससे समान अवसरों का सिद्धांत प्रभावित होता है।
4. **सामाजिक विभाजन**: पेड न्यूज़ सामाजिक और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण और भ्रामक सूचनाओं का प्रसार करती है।
5. **कानूनी उल्लंघन**: यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) के तहत भ्रष्ट आचरण के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि यह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने *सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट संघ* (1995) के मामले में कहा था कि गलत या एकतरफा सूचना लोकतंत्र के मूल मूल्यों को खतरे में डालती है। पेड न्यूज़ संवैधानिक अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है, जिससे इस पर नियंत्रण करना जटिल हो जाता है।

भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका

भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) एक स्वायत्त, सांविधिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1966 में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और पत्रकारिता के मानकों को उन्नत करना है। परिषद ने पेड न्यूज को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है। परिषद की भूमिका और कमियों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. पेड न्यूज पर दिशा-निर्देश

परिषद ने पत्रकारिता आचरण मानदंड-2022 (Norms of Journalistic Conduct-2022) जारी किए हैं, जो पेड न्यूज को स्पष्ट रूप से निषिद्ध करते हैं। इन दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- समाचार और विज्ञापन के बीच स्पष्ट भेद करना।
- प्रायोजित सामग्री को स्पष्ट रूप से "विज्ञापन" या "प्रायोजित" के रूप में चिह्नित करना।
- पत्रकारों और संपादकों को नैतिकता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश।

2. जांच और कार्रवाई : 2009 में, परिषद ने पेड न्यूज की बढ़ती शिकायतों के जवाब में एक उप-समिति गठित की थी, जिसका नेतृत्व परंजॉय गुहा ठाकुरता और के. श्रीनिवास रेड्डी ने किया। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में पेड न्यूज की व्यापकता और इसमें शामिल मीडिया घरानों, पत्रकारों और राजनेताओं की संलिप्तता को उजागर किया। हालांकि, प्रकाशकों के दबाव के कारण यह प्रतिवेदन पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हो सका, जिससे परिषद की विश्वसनीयता पर सवाल उठे।

3. सीमित दंडात्मक शक्तियां : परिषद की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके पास दंडात्मक शक्तियां नहीं हैं। यह केवल चेतावनी, निंदा या आलोचना जारी कर सकती है, लेकिन जुर्माना या कारावास जैसे कठोर दंड नहीं दे सकती। इससे पेड न्यूज के खिलाफ इसकी कार्रवाई प्रभावी नहीं हो पाती।

4. केवल मुद्रित मीडिया पर अधिकार : परिषद का अधिकार क्षेत्र केवल मुद्रित मीडिया तक सीमित है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो पेड न्यूज का एक बड़ा स्रोत बन चुका है, इसके दायरे से बाहर है। यह सीमा परिषद की प्रभावशीलता को और कम करती है।

5. प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण : परिषद का दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक है, यानी यह केवल शिकायतें मिलने पर कार्रवाई करती है। सक्रिय निगरानी और जांच की कमी के कारण पेड न्यूज की समस्या को पूरी तरह नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है।

6. हितों का टकराव : परिषद में मीडिया मालिकों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिससे हितों का टकराव पैदा होता है। यह निष्पक्षता और स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।

पेड न्यूज के उल्लेखनीय उदाहरण

भारतीय प्रेस परिषद की दो सदस्यीय उप समिति की ओर से पेड न्यूज पर तैयार रिपोर्ट के अप्रकाशित अंश जिसका शीर्षक ‘‘पेड न्यूज’’ भारतीय मीडिया में भ्रष्टाचार किए तरह लोकतंत्र को कमजोर करता है, उसमें हिन्दी प्रेस मे ‘‘पेड न्यूज’’ के कुछ उदाहरण दिए गए है, उप महाद्वीप में मीडिया पर निगरानी रखने वाले संगठन ‘द हूट (12 मई 2010)’ ने उसमें से कुछ दृष्टांत सार्वजनिक किए है।:

1. **दैनिक जागरण (2009)**: रांची संस्करण में चतरा लोकसभा क्षेत्र से दो उम्मीदवारों के पक्ष में एकसमान समाचार प्रकाशित किए गए, जो पेड न्यूज के रूप में चिह्नित हुए। यह समाचार बिना किसी स्पष्ट विज्ञापन चिह्न के प्रकाशित किया गया था।
2. **हरमोहन धवन का अनुभव (2009)**: चंडीगढ़ से बसपा प्रत्याशी हरमोहन धवन ने बताया कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और पंजाब केसरी जैसे समाचार पत्रों ने सकारात्मक कवरेज के लिए "पैकेज" की मांग की, जिसमें लाखों रुपये की राशि शामिल थी।
3. **आजमगढ़ (2009)**: आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कई उम्मीदवारों ने शिकायत की कि जागरण, हिन्दुस्तान और अमर उजाला जैसे समाचार पत्रों ने 2 से 15 लाख रुपये के पैकेज की पेशकश की थी।

4. **नीरा राडिया टेप मामला (2010)**: इस मामले ने पत्रकारों, राजनेताओं और कॉरपोरेट्स के बीच पेड न्यूज के लिए सांठगांठ को उजागर किया। इसमें कई वरिष्ठ पत्रकारों की संलिप्तता सामने आई, जिन्होंने कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रायोजित सामग्री तैयार की।

विनियामक ढांचा और कमियां

पेड न्यूज को नियंत्रित करने के लिए भारत में कई विनियामक और स्व-नियामक निकाय हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता सीमित है। इनकी कमियों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. **स्व-नियामक निकाय**: समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) और प्रसारण अंतर्वस्तु शिकायत परिषद (बीसीसीसी) जैसे स्व-नियामक निकायों की शक्तियां सीमित हैं। इनमें दंडात्मक अधिकारों की कमी और हितों का टकराव प्रमुख समस्याएं हैं।
2. **वैधानिक निकाय**: भारतीय प्रेस परिषद और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र (ईएमएमसी) के पास दंडात्मक शक्तियों की कमी है। ईएमएमसी केवल सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सलाह दे सकता है, लेकिन स्वतंत्र कार्रवाई नहीं कर सकता।
3. **कानूनी ढांचा**: प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867, केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1955 और अन्य कानून पेड न्यूज को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करते। इससे कानूनी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न होती है।
4. **हितों का टकराव**: स्व-नियामक और वैधानिक निकायों में मीडिया मालिकों की उपस्थिति निष्पक्षता को प्रभावित करती है।

संसदीय समिति की अनुशंसाएं

सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने 2013 में अपने 47वें प्रतिवेदन में पेड न्यूज को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएं दीं:

1. **कानूनी परिभाषा**: पेड न्यूज की व्यापक और स्पष्ट कानूनी परिभाषा तैयार की जाए।
2. **प्रेस परिषद की शक्तियां**: प्रेस परिषद को दंडात्मक शक्तियां प्रदान की जाएं और इसका दायरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक विस्तारित किया जाए।
3. **एकल विनियामक निकाय**: प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक स्वतंत्र और एकल विनियामक निकाय की स्थापना की जाए।

4. **वित्तीय पारदर्शिता**: मीडिया घरानों के वित्तीय खातों की जांच और विज्ञापन राजस्व की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
5. **चुनावी अपराध**: पेड न्यूज को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनावी अपराध घोषित किया जाए, जिसमें न्यूनतम दो वर्ष की सजा का प्रावधान हो।
6. **डीएवीपी नीति**: सरकारी विज्ञापन नीति (डीएवीपी) में सुधार और पारदर्शिता लाई जाए।

प्रस्तावित सुधार

पेड न्यूज की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित सुधार सुझाए गए हैं:

1. **कानूनी सुधार**: प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन कर पेड न्यूज को दंडनीय अपराध बनाया जाए। इसमें जुर्माना और कारावास जैसे कठोर दंड शामिल किए जाएं।
2. **दंडात्मक शक्तियां**: प्रेस परिषद को जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने और कारावास की सजा देने का अधिकार दिया जाए।
3. **एकल विनियामक निकाय**: प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली नियामक निकाय की स्थापना की जाए, जिसमें मीडिया मालिकों की भागीदारी न हो।
4. **स्व-नियामक निकायों का सशक्तिकरण**: एनबीएसए और बीसीसीसी जैसे स्व-नियामक निकायों को मजबूत किया जाए और इन्हें दंडात्मक शक्तियां प्रदान की जाएं।
5. **जन जागरूकता**: मतदाताओं और जनता को पेड न्यूज और वास्तविक समाचार के बीच अंतर समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
6. **संपादकीय स्वतंत्रता**: संपादकों और पत्रकारों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए संविदा प्रणाली को नियंत्रित किया जाए और पत्रकारों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए।
7. **पारदर्शिता**: मीडिया घरानों को अपने विज्ञापन और प्रायोजित सामग्री को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने के लिए बाध्य किया जाए।
8. **सामाजिक और शैक्षिक उपाय**: पत्रकारिता स्कूलों में नैतिकता और पेशेवर मानकों पर जोर दिया जाए, ताकि भावी पत्रकारों में नैतिक मूल्यों का विकास हो।

निष्कर्ष

पेड न्यूज भारतीय पत्रकारिता और लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। यह न केवल पत्रकारिता की नैतिकता और विश्वसनीयता को नष्ट करता है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी कमजोर करता है।

भारतीय प्रेस परिषद ने इस समस्या से निपटने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन इसकी सीमित शक्तियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अधिकार की कमी के कारण यह पूर्णतः प्रभावी नहीं हो सका। पेड न्यूज को नियंत्रित करने के लिए कानूनी और संस्थागत सुधार, दंडात्मक प्रावधान, और जन जागरूकता आवश्यक है। एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक पत्रकारिता ही स्वस्थ लोकतंत्र का आधार बन सकती है।

संदर्भ

अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ. (2007). SCC 147.

थॉमस, पी. एन. (2014). द पॉलिटिक्स ऑफ डिजिटल इंडिया: बिटवीन लोकल कंपल्सन्स एंड ग्लोबल प्रेशर्स. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

द *हिन्दू*. (2023). नई दिल्ली.

परंजॉय गुहा ठाकुरता. (2011). पेड न्यूज: द बरियल ऑफ जर्नलिज्म. हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया.

पेड न्यूज से बढ़ता कदाचार. (2015). सुख-दुःख, दिल्ली.

प्रेस परिषद रिव्यू. (1984). अप्रैल, पृष्ठ 30.

भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978.

भारतीय प्रेस परिषद. (1970). *वार्षिक प्रतिवेदन*, पृष्ठ 45.

भारतीय प्रेस परिषद. (2024). पत्र पी आर/9/2024/पीसीआई, 28 मार्च.

मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. (2013). 47वां प्रतिवेदन: इश्यूज रिलेटेड टू पेड न्यूज. संसद की स्थायी समिति, लोकसभा.

राइट लाइवलीहुड. (2015). दिल्ली.

राव, यू. (2010). न्यूज ऐज कमोडिटी: द मेकिंग ऑफ इंडियन पब्लिक स्फीयर. रूटलेज.

सर्वोच्च न्यायालय. (1995). *सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट संघ*, 161 AIR 1236.

सहगल, दिगंतराज. (2020). *पेड न्यूज*. आर्दपीलीडर्स, दिल्ली.

सैन, पी. एन. (2013). मीडिया, एथिक्स एंड जस्टिस: इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. पालग्रेव मैकमिलन.